भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 122
19 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन

***122. डॉ. शशि थरूर :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) संबंधी न्यायमूर्ति रेड्डी समिति की रिपोर्ट 26 अक्तूबर, 2017 को प्रस्तुत की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद ओआरओपी के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को प्रदत्त पेंशन के वार्षिक संशोधन संबंधी मांगों को स्वीकार लिया है अथवा स्वीकार करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

लोक सभा में दिनांक 19.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 122 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): सरकार ने रक्षा सेना कार्मिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) दिनांक 01.07.2014 से कार्यान्वित कर दी है। दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार 20,60,220 रक्षा सेना कार्मिकों / परिवार पेंशनभोगियों के लिए बकाया राशि के रूप में चार किस्तों में 10,795.4 करोड़ रु. की राशि दे दी गई है।

सरकार ने ओआरओपी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों, यदि कोई हैं, की जांच करने के लिए ओआरओपी पर एक सदस्यीय न्यायिक समिति (ओएमजेसी) नियुक्त की थी । समिति के समक्ष विचारार्थ विषय निम्नवत थे :-

निम्नलिखित मामलों पर केन्द्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच करना और सिफारिश करना :-

(i) ओआरओपी पत्र संख्या 12(1)/2014/रक्षा(पेंशन/नीति)/भाग-II दिनांक 7.11.2015 के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हो सकने वाली विसंगतियों का समाधान करने संबंधी उपाय करना।

(ii) उक्त ओआरओपी आदेश के कार्यान्वयन के कारण तीनों सेनाओं के अंतर-सेवा विषयों से उत्पन्न हो सकने वाली विसंगतियों का समाधान करने संबंधी उपाय करना।

(iii) सेवा संबंधी मामलों पर पड़ने वाले प्रभाव।

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा ओआरओपी के कार्यान्वयन अथवा संबंधित विषयों पर भेजा गया कोई अन्य मामला।

सिफारिश करते समय, समिति अपनी सिफारिशों में वित्तीय प्रभाव का ध्यान रखेगी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.10.2016 को प्रस्तुत की थी। व्यवहार्यता और वित्तीय पहलुओं के संबंध में ओएमजेसी की सिफारिशों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक आंतरिक समिति गठित की गई है। समिति के समक्ष विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :-

(i) ओएमजेसी की सिफारिशों की जांच एवं विश्लेषण करना।

(ii) ओएमजेसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की जांच करना।

(iii) वित्तीय प्रभावों का आकलन करना।

समिति द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

*****